रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0 14.

हिमाचल प्रदेश

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 16 मार्च, 1989/25 फाल्गुन, 1910

### हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि).—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामत: महाल (जुगेहड़, मौजा बण्डी) तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव: एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश क राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी

(नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला: कांगड़ा : तहसील:—कांगड़ा:

| महाल | खसरा नं0 | क्षेत्रफल हक्टेयरों टेयर में | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| जुगेहड़, मौजा वण्डी | 464/3/1 | 0 | 07 | 24 |
| | 465/3/1 | 0 | 20 | 32 |
| | 467/3/1 | 0 | 03 | 14 |
| | 513/489/1 | 0 | 03 | 99 |
| | 514/489/1 | 0 | 09 | 98 |
| | 4/1 | 0 | 82 | 77 |
| | 4/2 | 0 | 01 | 44 |
| | 519/51 | 4 | 96 | 17 |
| | 80 | 0 | 07 | 48 |
| | 81 | 0 | 06 | 51 |
| | 82 | 0 | 19 | 52 |
| | 83 | 0 | 06 | 30 |
| | 84 | 0 | 06 | 08 |
| | 85 | 0 | 04 | 72 |
| | 86 | 0 | 05 | 24 |
| | 87 | 0 | 03 | 71 |
| | 530/90 | 0 | 03 | 45 |
| | 531/90/1 | 0 | 02 | 41 |
| | 532/91 | 0 | 01 | 20 |
| | 533/91/1 | 0 | 05 | 47 |
| | 534/92 | 0 | 01 | 60 |
| | 535/92 | 0 | 12 | 61 |
| | 536/92 | 0 | 11 | 40 |
| | 537/93 | 0 | 03 | 06 |
| | 538/93 | 0 | 03 | 08 |
| | 539/93 | 0 | 03 | 04 |
| | 540/93 | 0 | 03 | 10 |
| | 541/93 | 0 | 03 | 08 |
| | 542/95 | 0 | 12 | 62 |
| | 543/95 | 0 | 10 | 19 |
| | 77 | 0 | 06 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 96 | 0 | 08 | 09 |
| | 97 | 0 | 07 | 15 |
| | 89\|1 | 0 | 03 | 53 |
| | 544\|99 | 0 | 01 | 98 |
| | 545\|99\|1 | 0 | 00 | 75 |
| | 100 | 0 | 02 | 78 |
| | 101 | 0 | 00 | 40 |
| | 102 | 0 | 07 | 67 |
| | 103\|1 | 0 | 09 | 75 |
| | 104\|1 | 0 | 10 | 23 |
| | 114\|1 | 0 | 01 | 92 |
| | 546\|115\|1 | 0 | 01 | 66 |
| | 120\|1 | 0 | 00 | 49 |
| | 121\|2 | 0 | 00 | 10 |
| | 122\|2 | 0 | 02 | 38 |
| | 124\|2 | 0 | 02 | 13 |
| | 125 | 0 | 19 | 13 |
| | 126 | 0 | 24 | 46 |
| | 127 | 0 | 05 | 95 |
| | 128 | 0 | 02 | 08 |
| | 128\|1 | 0 | 02 | 38 |
| | 128\|2 | 0 | 02 | 20 |
| | 552\|129\|1 | 0 | 40 | 95 |
| | 552\|129\|2 | 0 | 34 | 71 |
| | 553\|129 | 0 | 04 | 74 |
| | 554\|130 | 0 | 02 | 18 |
| | 556\|130 | 0 | 01 | 49 |
| | 558\|130 | 0 | 02 | 94 |
| | 131 | 0 | 02 | 28 |
| | 132 | 0 | 05 | 92 |
| | 133\|1 | 0 | 09 | 23 |
| | 133\|2 | 0 | 05 | 44 |
| | 134 | 0 | 05 | 79 |
| | 135 | 0 | 02 | 64 |
| | 136 | 0 | 03 | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 137 | 0 16 19 | | 159 | 0 20 82 |
| | 138 | 0 03 93 | | 160 | 0 10 50 |
| | 139 | 0 02 50 | | 161 | 0 04 96 |
| | 140 | 0 01 08 | | 163 | 0 01 35 |
| | 141 | 0 26 24 | | 164 | 0 01 71 |
| | 142 | 0 03 75 | | 165/1 | 0 03 58 |
| | 143 | 0 01 45 | | 166 | 0 00 58 |
| | 144 | 0 06 32 | | 167 | 0 05 18 |
| | 145 | 0 01 58 | | 169/1 | 0 03 30 |
| | 146 | 0 03 42 | | 170/1 | 0 02 62 |
| | 147 | 0 05 50 | | 557/1171/1 | 0 04 22 |
| | 148 | 0 03 94 | | 172/1 | 0 00 48 |
| | 149 | 0 02 04 | | 173/1 | 0 01 22 |
| | 150 | 0 03 64 | | 175/2 | 0 04 75 |
| | 151 | 0 06 61 | | 176/1 | 0 00 22 |
| | 152 | 0 04 99 | | 177/2 | 0 00 48 |
| | 153 | 0 02 16 | | 178/2 | 0 06 39 |
| | 154 | 0 06 79 | | 179/2 | 0 03 08 |
| | 155 | 0 22 54 | | 214/2 | 0 02 84 |
| | 156 | 0 00 56 | | | |
| | 157 | 0 01 19 | कुल कित्ता .. | 107 | 12 19 13 |
| | 158 | 0 07 83 | | | |

शिमला–171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88—पर्यटन (सचि):—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल रिच्छयालू, मौजा वण्डी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिआवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है। उक्त प्रयोजन क लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 क उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि का अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने क कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला: कांगड़ा तहसील: कांगड़ा

| महाल | खसरा नं0 | क्षेत्रफल हैक्टेयरों में | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| रिच्छयालू, मौजा वण्डी। | 738/2 | 0 | 00 | 22 |
| | 743/2 | 0 | 05 | 34 |
| | 744/1 | 0 | 19 | 91 |
| | 754/1 | 0 | 00 | 41 |
| | 748 | 0 | 37 | 71 |
| | 751/1 | 0 | 26 | 42 |
| | 760/1 | 0 | 04 | 04 |
| | 761/1 | 0 | 04 | 25 |
| | 762 | 0 | 02 | 07 |
| | 763 | 0 | 06 | 08 |
| | 764 | 0 | 06 | 36 |
| | 765 | 0 | 03 | 11 |
| | 766 | 0 | 02 | 72 |
| | 767 | 0 | 00 | 80 |
| | 768 | 0 | 06 | 81 |
| | 769 | 0 | 08 | 56 |
| | 770 | 0 | 12 | 90 |
| | 771 | 0 | 06 | 93 |
| | 772 | 0 | 01 | 52 |
| | 773 | 0 | 02 | 78 |
| | 774 | 0 | 02 | 16 |
| | 775 | 0 | 13 | 62 |
| | 776 | 0 | 00 | 52 |
| | 777 | 0 | 03 | 45 |
| | 778 | 0 | 05 | 41 |
| | 779 | 0 | 05 | 60 |
| | 780 | 0 | 14 | 82 |
| | 781 | 0 | 13 | 01 |
| | 782 | 0 | 08 | 21 |
| | 783 | 0 | 16 | 23 |
| | 784 | 0 | 14 | 74 |
| | 786 | 0 | 02 | 21 |
| | 787/2 | 1 | 57 | 06 |
| | 788 | 0 | 01 | 44 |
| | 789 | 0 | 03 | 61 |
| | 790 | 0 | 01 | 80 |
| | 791 | 0 | 00 | 27 |
| | 792/1 | 0 | 01 | 89 |
| | 793/1 | 0 | 18 | 83 |
| | 950 | 0 | 21 | 02 |
| | 951 | 0 | 07 | 00 |
| | 952 | 0 | 07 | 04 |
| | 953 | 0 | 16 | 32 |
| | 954 | 0 | 00 | 46 |
| | 955 | 0 | 00 | 23 |
| | 956 | 0 | 00 | 36 |
| | 957 | 0 | 00 | 30 |
| | 958 | 0 | 00 | 64 |
| | 960 | 0 | 87 | 08 |
| | 961 | 0 | 00 | 76 |
| | 962 | 0 | 03 | 92 |
| | 963 | 0 | 04 | 68 |
| | 964/1 | 0 | 07 | 51 |
| | 965/1 | 0 | 14 | 51 |
| | 966 | 0 | 00 | 72 |
| | 967 | 0 | 00 | 38 |
| | 968/1 | 0 | 01 | 08 |
| | 970/1 | 0 | 00 | 38 |
| | 978/1 | 0 | 00 | 70 |
| | 979/1 | 0 | 01 | 15 |
| | 980/1 | 0 | 00 | 12 |
| | 1051/1 | 0 | 01 | 56 |
| | 1052/1 | 0 | 00 | 50 |
| | 1053/1 | 0 | 01 | 21 |
| | 1054/2 | 1 | 33 | 22 |
| | 1055 | 0 | 31 | 13 |
| | 1056 | 0 | 17 | 23 |
| | 1057/1 | 0 | 14 | 43 |
| | 1060/1 | 0 | 03 | 98 |
| | 1062/1 | 0 | 12 | 10 |
| | 1068/1 | 0 | 02 | 59 |
| कुल किता .. | 71 | 8 | 48 | 36 |

शिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि0).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल सनौरा, मौजा ढुगियारी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि का कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यलय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : कांगड़ा:

| महाल | खसरा नं0 | क्षेत्रफल हैक्टेयरों में | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| सनौरा | 434/1 | 0 | 02 | 92 |
| | 435 | 0 | 00 | 52 |
| | 436 | 0 | 00 | 32 |
| | 437 | 0 | 00 | 62 |
| | 438/1 | 0 | 00 | 54 |
| | 439/1 | 0 | 00 | 04 |
| | 440 | 0 | 00 | 80 |
| | 441 | 0 | 00 | 15 |
| | 442 | 0 | 02 | 35 |
| | 443 | 0 | 01 | 01 |
| | 444 | 0 | 01 | 88 |
| | 445 | 0 | 02 | 86 |
| | 446 | 0 | 02 | 41 |
| | 447 | 0 | 00 | 66 |
| | 448 | 0 | 00 | 39 |
| | 449 | 0 | 00 | 28 |
| | 450 | 0 | 00 | 15 |
| | 451 | 0 | 00 | 25 |
| | 452 | 0 | 00 | 60 |
| | 453 | 0 | 01 | 47 |
| | 822/454 | 0 | 02 | 49 |
| | 823/454 | 0 | 02 | 43 |
| | 455/1 | 0 | 06 | 99 |
| | 456/1 | 0 | 08 | 31 |
| | 457 | 0 | 00 | 55 |
| | 458 | 0 | 00 | 35 |
| | 459 | 0 | 00 | 20 |
| | 460 | 0 | 00 | 51 |
| | 461 | 0 | 00 | 66 |
| | 462 | 0 | 00 | 42 |
| | 463 | 0 | 01 | 40 |
| | 464 | 0 | 00 | 50 |
| | 465 | 0 | 00 | 66 |
| | 469/1 | 0 | 00 | 12 |
| | 470/1 | 0 | 05 | 57 |
| | 471 | 0 | 01 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 472 | 0 00 30 | | 511 | 0 01 72 |
| | 473 | 0 01 60 | | 512 | 0 02 66 |
| | 474 | 0 03 39 | | 513 | 0 00 40 |
| | 475/1 | 0 03 09 | | 514 | 0 01 26 |
| | 485 | 0 07 25 | | 515 | 0 00 09 |
| | 488/1 | 0 16 16 | | 516 | 0 01 98 |
| | 489 | 0 01 94 | | 517 | 0 02 88 |
| | 490 | 0 21 16 | | 518 | 0 03 87 |
| | 491 | 0 00 80 | | 519 | 0 04 34 |
| | 492 | 0 22 78 | | 520 | 0 02 85 |
| | 493 | 0 01 32 | | 521 | 0 02 24 |
| | 494 | 0 10 39 | | 522 | 0 01 64 |
| | 824/495 | 0 07 73 | | 523 | 0 04 16 |
| | 825/494 | 0 11 41 | | 524 | 0 03 79 |
| | 496 | 0 00 48 | | 525 | 0 01 23 |
| | 497 | 0 00 39 | | 526 | 0 02 28 |
| | 498 | 0 13 33 | | 528 | 0 00 42 |
| | 499 | 0 14 77 | | 529 | 0 41 04 |
| | 501 | 0 01 20 | | 533 | 0 01 08 |
| | 502 | 0 00 35 | | 558/1 | 0 00 39 |
| | 503 | 0 00 50 | | 559/1 | 0 00 06 |
| | 504 | 0 00 16 | | 580/1 | 0 00 58 |
| | 505 | 0 01 02 | | 583/1 | 0 00 09 |
| | 507 | 0 01 47 | | 586/1 | 0 04 21 |
| | 508 | 0 02 06 | | 587/1 | 0 00 42 |
| | 509 | 0 01 90 | | 584/1 | 0 00 09 |
| | 510 | 0 01 05 | कुल किता.. | 89 | 2 86 41 |

शिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन(सचि0).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल भेड़ी, मौजा वग्डो, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिआवश्यक अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा के उपबन्धों के अधीन इस से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप मण्डल, अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधी समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है ।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

जिला : कांगड़ा तहसील : कांगड़ा

| महाल | खसरा नं0 | क्षेत्रफल हैक्टयरों में |
|---|---|---|
| भेड़ी, मौजा वण्डी | 13/1 | 0 07 11 |
| | 54/1 | 0 00 42 |
| | 55/1 | 0 10 56 |
| | 56/1 | 0 09 03 |
| | 57/1 | 0 04 22 |
| | 66/1 | 0 01 36 |
| | कुल कित्ता ... 6 | 0 32 70 |

आदेश द्वारा,
ए0 एन0 विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।